(20) (47)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>
समक्ष : <u>मनोज गोयल,</u>
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1146–दो/2014, विरूद्ध आदेश दिनांक 19–03–2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली, जिला–अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 16/अपील/2013–14

....

1– लक्षमण प्रसाद पुत्र श्री हरिनारायण ब्राहम्ण
निवासी–मूंडरा, मल्हारगण तहसील मुंगावली,
जिला–अशोकनगर (म0प्र0)

2– देशराज पुत्र श्री हरिनारायण ब्राहम्ण
निवासी–मूंडरा, मल्हारगण तहसील मुंगावली,
जिला–अशोकनगर (म0प्र0)

.... आवेदकगण

<u>विरूद्ध</u>

सालकराम पुत्र श्री बाला प्रसाद ब्राहम्ण
निवासी–मूंडरा, मल्हारगण तहसील मुंगावली,
जिला–अशोकनगर (म0प्र0)

.... अनावेदक

....

श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री भूपेन्द्र सिंह धाकड़, अभिभाषक, अनावेदका

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/2/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली, जिला–अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–03–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मूढ़रा मल्हारगढ़ स्थित विवादित भूमि सर्वे नं0 31/1/1 रकवा 0.836 एवं सर्वे क्र0 166 रकबा 0.157 योग रकबा 0.993 है0 भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि थी, जो राजीनामा एवं वाहमी बटवारा अनुसार नामांतरण पंजी क्रमांक 85 पर अंकित है, जिस पर तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 17.09.06 से आवेदकगण के नाम नामांतरण किया गया है । आवेदकगण द्वारा नकल निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि वर्ष 2013 में भूलवश आवेदकगण के स्थान पर अनावेदक का नाम दर्ज है । आवेदकगण द्वारा पुनः अपने नाम का इन्द्राज कराने हेतु न्यायालय तहसीलदार परगना के समक्ष संहिता की धारा 115 एवं 116 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किये गये एवं संहिता की धारा 115 एवं 116 के तहत आवेदन स्वीकार करते हुये दिनांक 8.5.2013 को राजस्व रिकार्ड में आवेदकगण का नाम दर्ज कराने के आदेश दिये गये । उक्त आदेश दिनांक 08.05.2013 से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष अपील पेश की गई । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/अपील/2013–14 में दर्ज कर पारित आदेश दिनांक 19.03.2014 से अपील स्वीकार की गई तथा तहसीलदार परगना द्वारा पारित आदेश निररत किया गया । अनुविभगीय अधिकारी मुंगावली के उक्त पारित आदेश दिनांक 19.03.2014 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय मुंगावली जिला–अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्र0 16/अपील/2013–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.03.14 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत धारा 5 अवधि विधान का आवेदन स्वीकार किया गया है एवं आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का आवेदन निरस्त किया है । उक्त दोनों आवेदनों का निराकरण एक ही आदेश से कर दिया गया है । अनावेदक द्वारा जो मूल आदेश था, जिससे सहमति के आधार पर एवं राजीनामा के आधार पर आवेदकगण का नामांतरण किया गया उसके

विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और न ही उसे चैलेंज किया, किन्तु जो आदेश तहसीलदार द्वारा रिकार्ड दुरूस्त किये जाने हेतु आदेश किया उसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की । इसी कारण आवेदकगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि विधि द्वारा वर्जित किसी आदेश की अपील नहीं की जा सकती एवं धारा 44 के प्रावधान अनुसार सहमति के आदेश के विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से आदेश कर नियम 7 आदेश 11 का आदेश निरस्त कर दिया, जो नियम के विरूद्ध है । तहसीलदार का आदेश दिनांक 08.05.2013 का, अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जानकारी होना बताया है । दिनांक 01.06.2013 को जानकारी कैसे किस माध्यम से हुई, स्पष्ट नहीं किया है । तर्क में यह भी कहा गया है कि जानकारी होते ही आवेदन नकल हेतु प्रस्तुत किया गया, किन्तु आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि 07.12.2013 को प्राप्त की यानि 7 माह पश्चात प्रतिलिपि प्राप्त की, जब प्रतिलिपि तैयार थी तो प्राप्त क्यों नहीं की गई। अपील दिनांक 17.12.2013 को पेश की गई, यानि प्रतिलिपि प्राप्त होने के 10 दिन पश्चात पेश किया, जिसका कोई कारण भी नहीं बताया गया, जबकि विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु एक–एक दिन का नियमानुसार हिसाब देना होता है । इन समस्त अनियमितताओं को अनदेखा करते हुये मनमाने तरीके से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 5 अवधि विधान का आवेदन स्वीकार किया गया, जो कि अवैध है । अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के आदेश को यथावत रखते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से

अध्ययन किया गया। आवेदक का तर्क है कि अनावेदक की तहसील न्यायालय के आदेश की नकल 29.06.2013 को तैयार हो गई थी, लेकिन वह लेने 07.12.2013 को गया । अतः विलम्ब माफी देना उपयुक्त नहीं होगा । नकल की सत्य प्रतिलिपि पर हुये endorsement से यह स्पष्ट नहीं होता कि नकल विलम्ब में प्राप्त करने के लिये उत्तरदायित्व किसका है । अतः इस बिन्दु पर सन्देह का लाभ अनावेदक को ही प्राप्त होगा तथा इस सम्बन्ध में आवेदक की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी ने समयसीमा में अनावेदक का अपील मान्य करने के जो आधार लिये है उनकी पुष्टि अभिलेख से होती है ।

6/ आवेदक का दूसरा बिन्दु उसके आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के आवेदन को निरस्त करने के सम्बन्ध में है । तहसीलदार के प्रकरण तथा आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत मूल आदेश पारित किया जो अपील योग्य आदेश है । अतः स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन को निरस्त करने में भी कोई त्रुटि नहीं की है ।

7/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर